<u>प्रेस विज्ञप्ति</u> <u>20.06.2016</u>

विषय :— <u>सरकार द्वारा बनायी गयी इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016</u>

आज **दिनांक 20 जून, 2016** को सायं **03:00 बजे** मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन एवं कानोपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट सोसाइटी द्वारा **"दि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम-2016"** एक प्रेस-वार्ता का आयोजन किया गया|

आयोजित कि गयी प्रेस-वार्ता में यह बताया गया कि कल **दिनांक 21.06.2016 को** सायं **03:30** बजे से **मर्चेन्ट चैम्बर ऑफ उ0प्र0 में संयुक्त सेमिनार कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिऐशन, कानपुर चार्टर्ड एकाउण्टेंट सोसाइटी एवं मर्चेन्ट चैम्बर ऑफ उ0प्र0 के तत्वाधान में आयोजित** किया जा रहा है, **जिसमें कि मुख्य अतिथि श्री आनन्द दीप, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उ0प्र0 एवं उत्तराखण्ड ने वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में उद्घोषित ''इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016'' के प्रावधानों के बारे में संक्षिप्त रूप से** वर्णित करेंगे।

यह **स्कीम 01 जून 2016 से 30 सितम्बर 2016 तक प्रभावी रहेगी तथा जिन करदाताओं को इस स्कीम के तहत अपनी अघोषित आय एवं सम्पत्ति का ब्यौरा घोषित करना है वो फार्म नं0 1 जो कि स्कीम के तहत जारी किया गया है, भरकर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के ऑफिस से प्रस्तुत कर दें। ये फार्म ऑनलाइन भी इंटरनेट के माध्यम से भरा जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत जिन करदाताओं को कुछ नोटिस विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत जैसे धारा–142, धारा–143(2), धारा–148, धारा–153ए, तथा धारा–153सी, के अन्तर्गत कार्यवाही लम्बित है एवं जो कि 31 मई 2016 से पूर्व जारी हो चुकी है और जिस वर्ष के लिये जारी हुयी है उस वर्ष के लिये करदाता इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकता है। प्रॉपर्टी बेचने के सम्बन्ध में प्रॉपर्टी का मूल्य कैपिटल गेन की स्थिति में वहीं माना जायेगा, जो कि करदाता ने इस स्कीम के तहत मूल्यांकन कर घोषित किया है।**

इस स्कीम के तहत विभिन्न फार्मस् के बारे में एवं सम्पत्ति के मूल्यांकन के बारे में सम्बोधित किया, कि चल तथा अचल सम्पत्ति के मूल्यांकन की स्कीम के तहत 01 जून 2016 की तारीख निर्धारित की गयी है तथा आभूषण एवं अचल सम्पत्ति के मूल्यांकन के लिये निर्धारित वैल्यूवर की सूची सरकार द्वारा निर्गत कर दी गयी है। यदि करदाता के खिलाफ किसी आयकर कानून के तहत कोई कार्यवाही लम्बित है तो ऐसे करदाता इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। विदेश में अघोषित सम्पत्ति को इस स्कीम के तहत नहीं लिया जा सकता तथा भ्रष्टाचार से सम्बन्धित आय को भी इस स्कीम के तहत नहीं लिया जा सकता है।

प्रेस-वार्ता में उपस्थित गणमान्य : डॉ. आई.एम.रोहतगी, अध्यक्ष, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश (एम.सी.यू.पी.), श्री शशि बाजपेई, अध्यक्ष, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन (के.आई.टी.बी.ए.), श्री प्रभात कुमार बिरला, उपाध्यक्ष, के.आई.टी.बी.ए., श्री दिलीप कुमार गुप्ता, महासचिव, के.आई.टी.बी.ए., श्री स्वर्ण सिंह, अध्यक्ष, कानपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सोसाइटी (के.सी.ए.एस.), श्री विशाल खन्ना, सचिव, के.सी.ए.एस., श्री ए.के.सिन्हा, सचिव, एम.सी.यू.पी।

सधन्यवाद
मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश